उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-1466-1/62-2-2016-2/4(33)/2015
लखनऊ: दिनांक: 18 जुलाई,2016

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री राजेन्द्र, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई मुख्यालय को, नितांत अस्थाई एवं कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, लखनऊ के पद का अतिरिक्त कार्यभार, प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस हेतु श्री राजेन्द्र, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई मुख्यालय को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

उक्त व्यवस्था शासन के अग्रिम आदेशों अथवा नियमित अधीक्षण अभियंता की तैनाती होने पर स्वत: समाप्त हो जायेगी।

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव।

सं0-1466-1(1)/62-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- संबंधित अधिकारी।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।